

Lokeh foodkuUn jkt dh; egkfo [ky;] ?kekjoh] ftyk fcyk l ij] fgekpy

i:n'k d Nk= fuf/k y:[kkvk dk vdf{k.k ,o fujh{k.k ifronu

vof/k 4@10 l 3@12

Hkkx&,d

1 xr vdf{k.k ifronu

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में समाविष्ट अनुच्छेदों पर की गई कार्रवाई की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान समीक्षा की गई। गत अवधि के पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से पाई गई। अनिर्णीत पैरों के पूर्ण निपटारे हेतु अविलम्ब कार्यवाही करके इस विभाग को सूचित किया जाए।

%d% vdf{k.k ifronu vof/k 4@01 l 3@2005

- | | | |
|---|-----------------|--|
| 1 | पैरा-11 (1) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा-11 (4) | समाप्त (समायोजन वाउचर ले0प0 के दौरान प्रस्तुत कर दिये गये) |
| 3 | पैरा-11 (9) (1) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा-11 (9) (2) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा-11 (9) (3) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा-11 (9) (4) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा-17 (क) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा-17 (छ) | अनिर्णीत |

%[k% vdf{k.k ifronu vof/k 4@05 l 3@07

- | | | |
|---|----------------|--|
| 1 | पैरा-9 (1) (1) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा-9 (1) (2) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा-9 (1) (3) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा-9 (2) (2) | समाप्त (पास बुक ले0प0 के दौरान प्रस्तुत की गई ब्याज की राशि ₹3120/-जमा पाई गई) |

॥x॥ vdf{k.k ifronu vof/k 4@07 I 3@10

1	पैरा-3 (1) (2)	समाप्त	
2	पैरा-4	समाप्त	
3	पैरा-5 (1, 2, 3)	समाप्त	(सावधि जमा रजिस्टर का निर्माण उचित प्रकार से कर दिया)
4	पैरा-6	समाप्त	(निष्क्रिय लाईब्ररी प्रतिभूति से सम्बन्धित)
5	पैरा-7	समाप्त	(रोकड़ वही का निर्माण कर दिया)
6	पैरा-8 (क)	समाप्त	(दण्डात्मक ब्याज ₹875/-की वसूली कर ली गई)
7	पैरा-8 (ख)	समाप्त	(अग्रिम राशि ₹195209/-निधि में जमा कर दी गई)
8	पैरा-9	समाप्त	
9	पैरा-10	समाप्त	(कुटेशन व तुलनात्मक विवरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत किया गया)
10	पैरा-11	समाप्त	
11	पैरा-12 (क)	समाप्त	(₹575 की वसूली करके जमा कर दी गई है)
12	पैरा-12 (ख)	समाप्त	(रद्द की गई रसीदों को प्राचार्य द्वारा सत्यापित कर दिया गया है)

Hkkx&nk

2 orleku vdf{k.k&

स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय, घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के छात्र निधि लेखाओं अवधि 1.4.2010 से 31.3.2012 तक का अंकक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिये गये हैं, श्री चम्बेल सिंह परमार, अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा दिनांक 17.8.2012 से 11.9.2012 तक घुमारवीं में किया गया। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में वर्णित अभिलेखों के अतिरिक्त समस्त अभिलेख अंकक्षण के दौरान प्रस्तुत किये गये। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु निम्न मासों का चयन किया गया।

foYk o"K	vk; dh t kp gr ekg dk p;u	0;; dh t kp gr ekg dk p;u
2010-11	6 / 2010	10 / 2010
2011-12	6 / 2011	12 / 2011

अंकेक्षण प्रतिवेदन महाविद्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। अधूरी एवं गलत सूचना प्रस्तुत करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न प्राचार्य आहरण एवं वितरण अधिकारी रहे।

vof/k	lkkpk;l dk uke
1.4.2010 से 31.3.2012	प्रो०जे०सी० नेगी

3 vd{k.k 'kYd%&

छात्र निधि लेखाओं व संचायिका लेखाओं की अवधि 1.4.2010 से 31.3.2012 तक की लेखा परीक्षा हेतु अंकेक्षण शुल्क निम्न विवरणानुसार ₹14000/- बनता है। अंकेक्षण शुल्क की राशि लेखा परीक्षा अध्याचना संख्या 31 दिनांक 12.9.11 द्वारा प्राचार्य महोदय को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-9 को भेजने हेतु अनुरोध किया गया।

vd{k.k 'kYd dk fooj.k%&

vof/k	l pf;dk iklr jkf'k ₹ e	dh fuf/k;k iklr jkf'k ₹ e	dh dy ikflr ₹ e	vd{k.k 'kYd ₹ e
2010-11	25630	2444741	2470371	7000
2011-12	2552	2259084	2261636	7000
			dy jkf'k	₹14000

4 राजकीय महाविद्यालय, घुमारवीं के छात्र निधि लेखाओं से सम्बन्धित विभिन्न निधियों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण परिषिष्ट "क" पर दिया गया है।

5 fuor'k%&

दिनांक 31.3.2012 तक निवेश की गई राशियों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ख" पर दिया गया है। विभिन्न निधियों से निवेश की गई राशियों को उनकी परिपक्वता तिथि पर भुनाना/पुनः निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6 ₹1100@&dh de ol|yh%&

रजिस्ट्रार हिमाचल प्रदेश विष्वविद्यालय के पत्र संख्या: 4-19/2010 एचपी0यू0 (एसीएडी) दिनांक 14.5.2010 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ग्रीष्मकालीन महाविद्यालयों में मई माह के दूसरे सोमवार से 30 दिन तक छुट्टियाँ थी तथा महाविद्यालय खुलने पर 10 दिन तक बिना विलम्ब शुल्क प्रवेश दिया जाना था उसके पश्चात आगामी 10 दिन तक विलम्ब शुल्क के साथ प्रवेश दिया जाना था। उपरोक्त प्रवेश षडयूल के अनुसार दिनांक 10.5.2010 से 8.6.2010 तक महाविद्यालय में अवकाश था 9.6.2010 से 18.6.2010 तक बिना विलम्ब शुल्क तथा 19.6.2010 से 28.6.2010 तक विलम्ब शुल्क के साथ प्रवेश दिया जाना था। लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि दिनांक 19.6.2010 को रसीद संख्या 233 से 342 द्वारा 110 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। लेकिन इन विद्यार्थियों से ₹10 विलम्ब शुल्क प्राप्त नहीं किया गया। दिनांक 19.6.10 को प्रवेश देने पर विलम्ब शुल्क प्राप्त न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा कम प्राप्त राशि ₹1100/-(110x10) की उचित माध्यम से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

7 %d½ ljdkjh ikflr;k dk njh l ljdkjh dk"e tek djuk%&

हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता 2001 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार सरकारी प्राप्तियों को प्राप्ति के तुरन्त बाद/प्राप्ति के अगले दिन सरकारी कोष में जमा किया जाना वांछित था। लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि सरकारी प्राप्तियों को प्राप्ति के पश्चात सरकारी कोष में समय पर जमा नहीं किया गया। लाखों ₹ को कई दिनों तक हस्तगत रखने के पश्चात सरकारी कोष में जमा किया गया जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। सरकारी प्राप्तियों को हस्तगत रखकर इन राशियों का अस्थाई दुर्विनियोजन किया गया

प्रतीत होता है जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की जाये तथा सरकारी प्राप्तियों को हस्तगत रखने पर हुई ब्याज की हानि की उचित माध्यम से वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में सरकारी प्राप्तियों को नियमानुसार समय पर सरकारी कोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये। सरकारी प्राप्तियों को समय पर सरकारी कोष में जमा न करने बारे विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है। मामला आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ भी विषेष रूप से लाया जाता है।

॥[k॥ सरकारी कोष में चालान के माध्यम से जमा राशियों का जमा के सत्यापन हेतु सरकारी कोष के साथ मिलान नहीं किया गया था। अतः अवधि 1.4.10 से 31.3.12 तक सरकारी कोष में जमा राशियों का सरकारी कोष के साथ मिलान किया जाए व यह भी सुनिश्चित किया जाए कि समस्त राशियाँ सरकारी कोष में जमा हो गई है तथा कृत करके अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाएं।

॥x॥ सरकारी प्राप्तियों को प्राप्ति के पश्चात रोकड़ वही के माध्यम से सरकारी कोष में जमा किया जाना वांछित था। लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्न चालानों के माध्यम से सरकारी कोष में जमा राशियों की प्राप्ति व जमा का विवरण रोकड़ वही में नहीं था। रोकड़ वही में प्राप्ति व जमा की प्रविष्टियाँ न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में नियमित रूप से रोकड़ वही के माध्यम से सरकारी प्राप्तियों को जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

f nukd	iklr jkf'k ₹ tek dk fooj.k	e
28.6.10	10280	चलान न० 36 दिनांक 8.7.10 ₹10280
30.6.10	75725	चलान न० 24 दिनांक 15.7.10 ₹75725
8.7.10	3295	चलान सं० 281 दिनांक 29.7.10 ₹52840
9.7.10	11350	
12.7.10	5585	
13.7.10	5920	
14.7.10	4425	
15.7.10	4160	

16.7.10	3490
17.7.10	14615
;kx	52840

8 fgekpy in'k fo'ofok; fuf/k&

%d% हिमाचल प्रदेश विष्वविद्यालय निधि से दिनांक 16.10.10 को ₹31160/-का भुगतान वित्त अधिकारी, हिमाचल प्रदेश विष्वविद्यालय को ड्राफ्ट संख्या 2144791 दिनांक 18.10.2010 द्वारा किया गया था। यह राशि बी0ए0बी0एस0सी0 व बी0काम0 दूसरे व अन्तिम वर्ष के छात्रों की कन्टीन्यूएशन फीस की भेजी गई थी। भुगतान के सत्यापन हेतु छात्रों की सूची व भुगतान की गई राशि का विवरण किस छात्र की कितनी राशि भेजी गई थी वाकचर में उपलब्ध नहीं था। न ही विष्वविद्यालय द्वारा जारी प्राप्ति की रसीद अभिलेखों में उपलब्ध थी। पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व प्रति छात्र भुगतान की गई राशि का विवरण तथा विष्वविद्यालय द्वारा जारी प्राप्ति रसीद/प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापित करवाया जाए।

%[k% वित्त अधिकारी, हिमाचल प्रदेश विष्वविद्यालय को दिनांक 16.10.2010 को ₹40772/-का भुगतान ड्राफ्ट संख्या 2144790 दिनांक 18.10.2010 द्वारा किया गया दर्शाया गया। यह राशि छात्रों के रजिस्ट्रेशन फूलक के रूप में भुगतान की गई। उक्त राशि के भुगतान के सत्यापन हेतु विष्वविद्यालय द्वारा जारी प्राप्ति रसीद अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व आवश्यक प्राप्ति रसीद को सत्यापनार्थ आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

9 vfxe jkf'k;k dk njh l l ek;kft r djuk&

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि विभिन्न निधियों से महाविद्यालय के अधिकारियों को अग्रिम प्रदान किये गये थे इन अधिकारियों द्वारा अग्रिम राशियों को देरी से समायोजित किया गया था तथा षेष बची राशियों को भी देरी से कार्यालय में जमा किया गया। पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए देरी से जमा राशियों पर दण्डात्मक ब्याज की वसूली करके सम्बन्धित निधियों में जमा की जाये तथा भविष्य में अग्रिम की षेष बची

राषियों को समय पर कार्यालय में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये। देरी से जमा की गई राषियों का विवरण परिशिष्ट "घ" पर दिया गया है।

10 ₹251094@&dh vfxe jkf'k; dk okfi l fuf/k e tek u dju ckj&

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि मिश्रित निधि से कार्यालय के विद्युत व दूरभाष के बिलों के भुगतान हेतु अग्रिम राषियां बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लिए ही वरिष्ठ सहायक को प्रदान की गई। लम्बी अवधि बीत जाने के पश्चात भी इन राषियों को सम्बन्धित निधि में जमा नहीं किया गया। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लिए बिना ही अग्रिम भुगतान करने अग्रिम प्राप्त राषियों को वापिस निधि में जमा न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इन राषियों को भी सम्बन्धित निधि में जमा किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये। मिश्रित निधि से भुगतान की गई अग्रिम राषियों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

Øekd	Hkxrku dh frffk	Hkxrku dk mli';	Hkxrku dh xbl jkf'k ₹ e
1	3.8.10	विद्युत बिल	57414
2	26.8.10	दूरभाष बिल	992
3	17.9.10	विद्युत बिल	5116
4	16.10.10	विद्युत बिल	4272
5	15.11.10	विद्युत बिल	34483
6	24.11.10	विद्युत बिल	4903
7	10.3.11	विद्युत बिल	14927
8	8.4.11	विद्युत बिल	13803
9	9.12.11	विद्युत/दूरभाष बिल	30370
10	25.12.11	विद्युत बिल	31782
11	14.2.12	विद्युत बिल	32262
12	2.3.12	विद्युत बिल	20770
dy jkf'k			251094

11 Li kVI I fuf/kk&

%d% okÅpj I I ; k 60 fnukd 23-12-11 ₹27771@&

उपरोक्त वाउचर द्वारा ₹27771/-का भुगतान मै0 राजेन्द्रा ट्रेडर्ज घुमारवीं को स्पोर्ट्स के सामान के विभिन्न बिलों के माध्यम से क्रय की गई सामग्री के लिए किया गया था। बिल संख्या 1325 दिनांक 26.11.2011 के अन्तर्गत ₹8961/- भुगतान किया अपेक्षित था परन्तु जोड़ों में गलती के कारण ₹9055/-का भुगतान कर दिया गया ₹94/-का अधिक भुगतान किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए आवश्यक वसूली करके राशि सम्बन्धित निधि में जमा की जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

%[k% okÅpj I I ; k 59 fnukd 9-12-11 ₹35490@&

उपरोक्त वाउचर द्वारा ₹35490/-का भुगतान मै0 किरण एन्टरप्राइजिज को विभिन्न बिलों के माध्यम से क्रय की गई स्पोर्ट्स सामग्री हेतु किया गया। क्रय की गई सामग्री का विवरण निम्न प्रकार से है:-

Øekd fcy I I 0@fnukd	Lkkexh dk fooj.k	Ekk=k	j kf'k ₹ e
1 1223 / 15.9.11	स्पोर्ट्स सूज खो खो	12 जोड़े	9984
2 1224 / 15.9.11	स्पोर्ट्स सूज बैडिमेंटन	10 जोड़े	8320
3 1234 / 21.10.11	स्पोर्ट्स सूज बाक्सिंग	10 जोड़े	5148
4 1236 / 21.10.11	स्पोर्ट्स सूज कबडडी	12 जोड़े	9984
5 1237 / 21.10.11	स्पोर्ट्स सूज बॉलीबॉल	12 जोड़े	11856
6 1239 / 2.11.11	स्पोर्ट्स सूज हैण्डबाल	14 जोड़े	13832
7 1240 / 2.11.11	स्पोर्ट्स सूज बास्केटबाल	12 जोड़े	11856

उपरोक्त क्रय की गई सामग्री की 50 प्रतिषत राशि ₹35490/- का भुगतान सम्बन्धित टीमों के खिलाड़ियों से प्राप्त करके तथा 50 प्रतिषत राशि ₹35490/- स्पोर्ट्स निधि से निकाल कर सम्बन्धित फर्म को भुगतान किया गया था। उपरोक्त क्रय की गई सामग्री सम्बन्धित टीमों के खिलाड़ियों को वितरित की दर्शाई गई। जिन खिलाड़ियों को सामग्री वितरित की गई, की सूची एवं सामग्री प्राप्ति की रसीद लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई जिसे आगामी अंकक्षण के दौरान सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

₹x% okÅpj l;l;k 60 fnukd 23-12-11 ₹27711@&

उपरोक्त वाऊचर द्वारा मै0 राजेन्द्रा ट्रेडज घुमारवीं को विभिन्न बिलों के माध्यम से क्रय की गई सामग्री के रूप में ₹27711/- का भुगतान किया गया। निम्न विवरणानुसार ₹55543/- की सामग्री क्रय की गई। जिसकी 50 प्रतिषत राशि ₹27772/- खिलाड़ियों से वसूल कर तथा 50 प्रतिषत राशि ₹27771/- स्पोर्ट्स निधि से भुगतान किया गया। स्टॉक रजिस्टर के अनुसार यह सामग्री सम्बन्धित टीमों के खिलाड़ियों को जिनसे 50 प्रतिषत राशि प्राप्त की थी, को वितरित कर दी गई दर्शाई गई। लेखा परीक्षा के दौरान जिन खिलाड़ियों को सामग्री वितरित की थी, का विवरण एवं सामग्री प्राप्ति की रसीद प्रस्तुत नहीं की गई। खिलाड़ियों की सूची एवं सामग्री प्राप्ति की रसीदें प्राप्त करके आगामी अंकक्षण के दौरान प्रस्तुत की जाये। क्रय की गई सामग्री का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र.सं.	सं.	दि.	वस्तु	मात्रा	मूल्य
1	1333	28.11.11	क्रिकेट किट	16 सैट	9996
2	1322	26.11.11	बास्केटबाल किट	12 सैट	5271
3	1323	26.11.11	रैपलिंग किट	8 सैट	3163
			खो खो किट	12 सैट	
4	1325	26.11.11	वास्केटबाल किट (महिला)	12 सैट	9055
			कबडडी किट	12 सैट	
			बॉक्सिंग किट	10 सैट	
5	1326	26.11.11	बैडमिन्टन किट	10 सैट	2635
6	1327	26.11.11	हैन्डबाल किट (पुरुष)	14 सैट	6852
			हैन्डबाल किट (महिला)	12 सैट	
7	1328	26.11.11	हॉकी किट	16 सैट	4217
8	1329	26.11.11	बॉलीबॉल किट	12 सैट	3163
	1332	28.11.11	क्रास कन्ट्री किट	5 सैट	1318
	1330	28.11.11	हॉकी स्टिक	5 न०	2599
	1331	28.11.11	हॉकी सूज	16 न०	7274
			हॉकी स्टड	16 न०	
				कुल	55543

12 महाविद्यालय में छात्र निधियों से क्रय की गई सामग्री का वर्षान्त में प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया पाया गया। निधियों से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्ट्रों के अनुसार शेष बची सामग्री

का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रत्येक वर्षान्त में करवाया जाए व अनुपालना आगामी अंकेंक्षण में सत्यापित करवाई जाए।

13 y/k vkifr foojf.kdk& यह अलग से जारी नहीं की गई।

14 fu"d"k& लेखाओं के रख रखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है।

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)xi(xii)108 / 02-खण्ड-2 दिनांक षिमला-171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- i:thdr 1. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेंक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिषीघ्र भेजें।
- 2 निदेशक, षिक्षा विभाग, हि0प्र0 षिमला-171001.
- 3 उप निदेशक (सैकेन्डरी षिक्षा) बिलासपुर, जि0 बिलासपुर (हि0प्र0)
- 4 श्री चम्बेल सिंह परमार, अ0अ0 द्वारा.....

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला-171009.